भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2018/एनएफआर/47

नई दिल्ली, दिनांक 12.09.2018

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
मेट्रो रेलवे, कोलकाता

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 50)

विषय: दिनांक 10.01.2017 और 11.07.2017 के 2017 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 01, 04, 05, और 50 के तहत जारी गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) संबंधी नीतियों का स्पष्टीकरण एवं संशोधन।

पृष्ठभूमि

बोली प्रक्रिया प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण और क्षेत्रीय रेलों को गैर-किराया राजस्व नीतियों के कार्यान्वयन की शक्तियों के प्रत्यायोजन के बाद दिनांक 12.06.2018 और 07.08.2018 को आयोजित की गई बैठकों में क्षेत्रीय रेलों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गए थे। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.07.2018 के अ.शा. पत्र की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को संपूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं थीं और उन्हें गैर-किराया राजस्व सृजित करने के लिए मिशन मोड में आगे बढ़ने की सलाह दी गई थी। फीडबैक और गैर-किराया राजस्व नीति के लिए ठेकों का आबंटन करने की कार्रवाई से प्राप्त अनुभव के आधार पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण और आशोधन जारी किए जाते हैं:

I. उपर्युक्त नीति में लागू सामान्य स्पष्टीकरण और आशोधन:

1. संविदा की अवधि और अस्थायी संवर्द्धन

1.1 लाइसेंस का आबंटन न्यूनतम 3 वर्ष के लिए और अधिकतम 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। मौजूदा संविदा के पूरा होने से नौ माह पूर्व नई संविदा का आबंटन करने के लिए निविदा प्रक्रिया आरंभ कर दी जानी चाहिए और इस लेखे में राजस्व की हानि से बचने के लिए मौजूदा संविदा के पूरा होने से पूर्व निविदा को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए।

1.2 संविदा की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। बहरहाल, अनिवार्यता होने पर यदि नई निविदा को मौजूदा संविदा के पूरा होने की अवधि के भीतर अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी

(क) छह माह की अवधि के लिए अथवा निविदा प्रक्रिया के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, समानुपात आधार पर इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं।

(ख) वित्त के अनुमोदन से; और

(ग) ऐसे अवधि विस्तार के लिए कारणों की विधिवत रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।

1.3 यदि अवधि का विस्तार किया जाता है तो, वह संविदा के संतोषजनक निष्पादन, संविदागत दायित्वों का उल्लंघन किए बिना और लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान संबंधी सभी दायित्वों के पूरा होने के अध्यधीन होगा।

1.4 इसके अतिरिक्त, संविदा के 6 माह के प्रथम विस्तार के पश्चात् भी यदि अनिवार्यता होने पर आगे समयावधि बढ़ाना अपेक्षित हो तो इसे बढ़ाया जाएगा।

(क) अधिकतम छह माह के लिए:

(ख) महाप्रबंधक द्वारा;

(ग) वित्त की सहमति से;

(घ) मंडल रेल प्रबंधक/मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक की निजी सिफारिश के आधार पर नया ठेका विस्तारित अवधि में चालू हो जाना चाहिए।

1.5 बढ़ाई गई कुल समयावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि इसमें परिहार्य देरी होती है तो समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

2. निविदा संबंधी कार्यपद्धति

2.1 क्षेत्रीय रेलें आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक मीडिया बाजार मूल्यांकन एजेंसी (पीएमएमईए) को शामिल कर सकती हैं, जो उपलब्ध साइटों, जो परिचालन में हैं अथवा चिह्नित की गई हैं परंतु संविदा में शामिल नहीं हैं, से संबंधित विवरण की पुष्टि करने के पश्चात् क्षेत्रीय रेलों की ओर से खुली बोलियों को आमंत्रित करेंगी।

2.2 संविदा का निष्पादन ई-टेंडरिंग के माध्यम से और बोलियां आरोही/अग्रेषित ई-ऑक्शन के माध्यम से लगाई जानी चाहिए। बहरहाल, क्रिस द्वारा ई-टेंडिरंग और ई-ऑक्शन मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाने तक निविदा प्रक्रिया परंपरागत रूप में जारी रहेगी।

3. बयाना जमा राशि (ईएमडी), प्रतिभूति जमा (एसडी) और भुगतान

3.1 क्षेत्रीय रेलों द्वारा ईएमडी, संविदा के कुल मूल्य के 10% पर निर्धारित की जाएगी।

3.2 क्षेत्रीय रेलें अविकल्पी बैंक गारंटी के माध्यम से लाइसेंस अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 6 (छह) माह के लाइसेंस शुल्क की समतुल्य राशि के लिए प्रतिभूति जमा प्राप्त करेंगी। ये संविदा की संपूर्ण अवधि के लिए अग्रिम तौर पर वसूल की जाएगी।

3.3 क्षेत्रीय रेलें किश्तों में अग्रिम तौर पर लाइसेंस शुल्क प्राप्त करेंगी, जिसे क्षेत्रीय रेलों द्वारा लाइसेंस करार में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाए।

4. वृद्धि खंड

4.1 लाइसेंस फीस ठेके के पहले 3 वर्ष समाप्त होने के बाद प्रत्येक वर्ष 10% तक बढ़ाई जाएगी।

5. बोली प्रक्रिया प्रबंधन

5.1 क्षेत्रीय रेलें उत्तरदायी होंगी:

5.1.1 समग्र बोली प्रक्रिया प्रबंधन

5.1.2 निविदा दस्तावेज और निविदा आमंत्रण नोटिस तैयार करना

5.1.3 समुचित ई-टेंडरिंग और ई-ऑक्शन प्लेटफार्म की व्यवस्था करके सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् निविदा का एनआईटी/निविदा दस्तावेज़, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र अपलोड करना।

5.1.4 निविदाओं को प्राप्त करना उनका मूल्यांकन करना और उसके पश्चात् निविदा को स्वीकृत करना तथा संविदा के आंबटन सहित स्वीकृति संबंधी पत्र जारी करना; और

5.1.5 करार पर हस्ताक्षर करना तथा इसका निष्पादन करना

5.2 क्षेत्रीय रेलें, रेलों के पक्ष को सुरक्षित करने के लिए लाइसेंसधारक द्वारा चूक अथवा संविदा के भंग होने से उत्पन्न किसी संभाव्यता को पूरा करने के लिए संविदा के करार में समुचित दंड और मध्यस्थता खंड को शामिल करेंगी।

6. मौजूदा संविदा का नवस्थापन

6.1 क्षेत्रीय रेलें यदि आवश्यक समझें तो विज्ञापन परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाइसेंसधारक की मौजूदा संविदा का नवस्थापन कर सकती हैं। मौजूदा संविदा अथवा उसका राजस्व संविदा के समाप्त होने तक लाइसेंसधारक को हस्तांतरित किया जाएगा

7. मीडिया एग्नॉस्टिक

7.1 क्षेत्रीय रेलें, प्राधिकरण की किसी नीति अथवा बाह्य विज्ञापन नीति (ओएपी) के अंतर्गत प्रतिबंधों के अध्यधीन विज्ञापन के सभी माध्यमों, जो तदनुरूपी विज्ञापन परिसम्पत्तियों/स्थानों के लिए समुचित, सुरक्षित और व्यावहार्य हो, के उपयोग की अनुमति देंगी।

7.2 क्षेत्रीय रेलें, संबंधित नियमों के आधार पर विज्ञापन परिचालन के लिए लाइसेंसधारक को अनुमति देंगी, बशर्ते, इसका भारतीय रेल के परिचालन के साथ कोई लेना-देना न हो, विज्ञापन यात्रियों तथा गाड़ी परिचालन की संरक्षा को प्रभावित न करता हो और किसी धरोहर अथवा स्टेशन परिसर के अग्रभाग के सौंदर्य अथवा रूप को न बिगाड़ता अथवा कम करता हो।

8. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम

8.1 लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि विषयवस्तु के संबंध में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं। लाइसेंसधारक, प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन से हुई किसी भी हानि के लिए रेल प्रशासन को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

9. सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां

9.1 क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को इस नीति का निष्पादन करने की समग्र शक्तियां प्राप्त होंगी। इन शक्तियों का पालन संबंधित वित्त के परामर्श से किए जाने की आवश्यकता है।

9.2 महाप्रबंधक, यदि अपेक्षित हो तो इन शक्तियों को मंडल रेल प्रबंधक/अपर मंडल रेल प्रबंधक को प्रत्यायोजित करने पर विचार कर सकते हैं।

9.3 इसके अलावा, यदि इन दिशा-निदेशों में कोई आशोधन करना अपेक्षित हो अथवा परियोजना में दो या दो से अधिक गैर-किराया नीतियों को जोड़ना अपेक्षित हो, तो क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को संबंधित वित्त के परामर्श से ऐसा करने की शक्तियां प्राप्त हैं ताकि गैर-किराया राजस्व को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा सके।

II. व्यक्तिगत नीतियों पर लागू विशिष्ट स्पष्टीकरण तथा आशोधन

1. आऊट ऑफ होम और रेल डिसप्ले नेटवर्क

1.1 डिज़ीटल विज्ञापन को स्टेशन परिसर में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहरहाल, ऐसा करते समय यह वांछनीय होगा कि स्टेशन परिसर के भीतर ऐसे विज्ञापनों से स्टेशन के सौंदर्यकरण में वृद्धि और आकर्षण में सुधार सुनिश्चित हो।

1.2 प्रत्येक क्षेत्रीय रेल द्वारा स्वतंत्र रूप से बोलियों के लिए विज्ञापन परिसंपत्ति पैकेज के प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

1.3 अधिकार आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हुए संविदाओं का आबंटन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में वर्ग मीटर के अनुसार कोई निश्चित स्थान अथवा उपलब्ध स्थान न दिया जाए, परंतु ऐसे स्थानों की कुल संख्या/वर्ग मीटर के अनुसार कुल क्षेत्र निर्दिष्ट किया जाए।

1.4 क्षेत्रीय रेलें स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अपने जोन के लिए पैकेज आकार का निर्धारण कर सकती हैं। यदि अपेक्षित हो तो स्टेशनों को इक्टठा किया जा सकता है। बहरहाल, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी बड़े स्टेशन पर एक से अधिक पैकेज का निर्धारण कर सकते हैं।

1.5 विज्ञापन योजना

1.5.1 लाइसेंसधारक प्रत्येक स्टेशन/क्षेत्र के लिए विज्ञापन योजना प्रस्तुत करेंगे।

1.5.2 क्षेत्रीय रेलें, सौंदर्यकरण, व्यावहारिकता, संरक्षा एवं सुरक्षा, इस्तेमाल की गई सामग्री के मानक और विशिष्टियों तथा उनके तकनीकी अथवा परिचालनिक महत्व के आधार पर विज्ञापन योजना का आकलन करेंगी।

2. कन्टेंट ऑन डिमांड

2.1 क्षेत्रीय रेलें मिश्रित राजस्व भाग मॉडल अपनाने का प्रयास करेंगी, जिसके अंतर्गत लाइसेंसधारक/सेवाप्रदाता निश्चित न्यूनतम गारंटी (एफएमजी) का उल्लेख करेंगे और बेंचमार्क एफएमजी के राजस्व का प्रतिशत साझा करेंगे।

2.2 यह एहसास करते हुए कि इस नीति के अंतर्गत सभी संभाव्य राजस्व सृजन विज्ञापनों का पता लगाने के लिए यह व्यवस्था मजबूत सॉफ्टवेयर पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर हो सकती है, क्षेत्रीय रेलें, पर्याप्त प्रमाण योग्य लेखा परीक्षा सत्यापन सहित राजस्व सृजन का पता लगाने के लिए लाइसेंसधारक को एक मजबूत आईटी आधार बनाने के लिए प्रेरित करेंगी।

3. अस्थायी परिसंपत्तियां

3.1 सवारी डिब्बों की विनाइल रैपिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे दृश्यता बाधित न हो।

3.2 क्षेत्रीय रेलों द्वारा गाड़ी पैकेज आकार का निर्धारण किया जाए। संभाव्यता/व्यावहारिक सीमा तक गाड़ियों को जोड़े जाने का निर्धारण किया जाए।

3.3 जबकि निर्धारित मार्गों और समर्पित रेकों पर उपनगरीय गाड़ियों के रेक टेंडरिंग के लिए आधारभूत इकाई है, विशिष्ट गाड़ी सेवा आधारभूत इकाई होगी।

इसे बोर्ड के अनुमोदन और रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(पी. सी. वर्मा)
संयुक्त निदेशक (एनएफआर)
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/एनएफआर/47

नई दिल्ली, दिनांक 12.09.2018

प्रतिलिपि प्रेषित: प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए

(पल्लवी जोशी)
कृते वित्त आयुक्त
रेलवे बोर्ड